

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक १७ / 380 / सीसी / 14 / अडतीस,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16-2-2015

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय (पारंपरिक)
मध्यप्रदेश।

विषय:-स्वाध्यायी विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश देने के संबंध में।

-0-

विषयान्तर्गत स्वाध्यायी विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश देने के संबंध में माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त अनुमोदनानुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं वह विश्वविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में सीट रिक्त होने पर पात्रता अनुसार स्नातक स्तर पर तृतीय/पंचम सेमेस्टर में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में प्रावधिक नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

कृपया नियमानुसार संबंधित अध्यादेशों के अधीन पूर्ण पारदर्शिता एवं अकादमिक कैलेण्डर अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(शकीला अख्तर)
अवर सचिव

म०प्र०शासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पृ.क्रमांक १४ / 380 / सीसी / 14 / अडतीस,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16-2-2015

1. प्रमुख सचिव, मा.राज्यपाल सचिवालय, राजभवन भोपाल।
2. विशेष सहायक, मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. निज सचिव, कुलपति, समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय।
5. सचिव सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अवर सचिव)
अवर सचिव
म०प्र०शासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय